नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय जिला कलक्टर, बीकानेर

बईजलास श्री कुमार पाल गौतम, आई.ए.एस., जिला कलक्टर, बीकानेर

नम्बर मुकदमा 10/09 रेफरेंस प्रार्थना–पत्र

जेठुसिंह पुत्र पोकरसिंह जाति राजपूत निवासी नालबड़ी तहसील व जिला बीकानेर
प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमती संगीता देवी पत्नि शिवदयाल जाति ब्राहम्ण निवासी नालबड़ी तहसील व जिला बीकानेर
2. मालाराम 3. धमालीराम पिसरान खण्डाराम 4. लाघाराम पुत्र शंकरराम 5. श्रीमती भैरूबाई पत्नि कालूराम हरिजन ओड, निवासीगण कुसर, तहसील व जिला सिरसा (हरियाणा)
6. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये राजस्व तहसीलदार, बीकानेर

–अप्रार्थीगण

:: रेफरेंस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

1– श्री धन्नेसिंह, अधिवक्ता अधिवक्ता प्रार्थी

2– श्री सत्यनारायण तिवाडी, अधिवक्ता अप्रार्थी

3– स्टेट की ओर से विभागीय प्रतिनिधि।

न्यायालय जिला कलेक्टर

आदेश दिनांक 11.03.2020

1. प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि खेत खसरा नं. 397 तादादी 9.82 है.ख.नं. 1162/426 तादादी 2.00 है. ख.नं. 1170/396 तादादी 1.55 है कुल 3 किता तादादी 13. 37 हैक्टयर कृषि भूमि पूर्व खातेदार पोकरसिंह पुत्र प्रतापसिंह राजपूत निवासी नालबड़ी की थी जिसे हरिजनो को बय कर दिया। अप्रार्थी नं. 1 के ससुर को भूमि हरिजनो की होने का ज्ञान होते हुए अप्रार्थी नं. 2 से 5 का मुख्त्यारआम बनकर बैयनामा अपनी पुत्रवधु अप्रार्थी नं. 1 संगीता के हक में दिनांक 23.03.07 को कर दिया। प्रकरण में राजकीय हित, पब्लिक पॉलिसी व कानून को ध्यान में नहीं रखा गया। सरकारी हितो व कानून की सुरक्षा हेतु प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर माननीय राजस्व मण्डल, अजमेंर को रेफरेंस करने हेतु निवेदन किया गया।

2. रेफरेंस प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण एवं अधीनस्थ न्यायालय की मूल रेकार्ड तलब किया गया।

3. तदन्तर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

जिला कलक्टर, बीकानेर

4. विद्वान वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के बिन्दुओ को दोहराते हुए कथन किया कि खेत खसरा नं. 397 तादादी 9.82 है.ख.नं. 1162/426 तादादी 2.00 है. ख.नं. 1170/396 तादादी 1.55 है कुल 3 किता तादादी 13.37 हैक्टयर कृषि भूमि पूर्व खातेदार पोकरसिंह पुत्र प्रतापसिंह राजपूत निवासी नालबड़ी की थी जिसके गत खसरा नं. 195 तादादी 64.08 बीघा मे से 32.08 बीघा जरिये बैयनामा दिनांक 25.07.60 (पंजीयन दिनांक 29.07.60) द्वारा नेकीराम पुत्र दंयाराम हरिजन निवासी सिरसे को बैयकरदी शेष 32 बीघा 28.07. 1960 को पूर्णाराम पुत्र दयाराज हरिजन निवासी कुसर तहसील सिरसा को बैय कर दी। खरीददार नेकीराम हरिजन ने अप्रार्थी सं. 2 से 5 के हक में दिनांक 16.09.68 को बैय कर दी। अप्रार्थी सं. 2 से 5 के हक में इंतकाल सं. 1373 दिनांक 25.08.90 दर्ज हो गया। बैयनामे व इंतकाल में इनकी जाति हरिजन ओड दर्ज है। कानूनन हरिजन की भूमि स्वर्ण जाति का व्यक्ति नहीं खरीद सकता । मामले में पटवारी तथा तहसीलदार से साज बाज करके पूर्व सरपंच रामचंद्र जो कि प्रार्थी नं 1 का ससुर था ने अप्रार्थी सं. 2 से 5 का मुख्त्यारआम बन कर विवादित भूमि का बैयनामा अपने पुत्र वधु अप्रार्थी नं. 1 संगीता देवी के हक में दिनांक 23.03.07 को कर दिया जिसका इंतकाल सं. 836 दिनांक 14.06.07 दर्ज करवा लिया। इंतकाल के कॉलम नं. 7 में अप्रार्थी नं. 2 से 5 की जाति ओड राजपूत साज बाज करके गलत अंकित की है ताकि इस इंतकाल से यह आभास हो कि राजपूत ने ब्राहम्ण को भूमि बय की है जबकि पूर्व इंतकाल सं. 1373 में जाति हरिजन ओड दर्ज थी। इंतकाल तस्दीक करते समय पब्लिक पॉलिसी एवं कानून का कतई ध्यान नहीं रखा गया। ऐसे नल एवं वॉयड बैयनामे को जरिये रैफरेंस निरस्त करवाया जाना आवश्यक है ताकि राज्यहित एवं कानून की रक्षा की जा सके। दौरान ए बहस विद्वान वकील प्रार्थी ने यह भी कथन किया कि अप्रार्थी सं. 2 से 5 की मृत्यु हो चुकी है। उन्होने अपनी भूमि अप्रार्थी नं. 1 को बैय कर दी थी। मामले हाजा में अप्रार्थी सं. 2 ता 5 आवश्यक पक्षकार नहीं है। अतः इनका नाम हटाया जावे।

5. विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने दौरान ए बहस कथन किया कि अप्रार्थिया सं. 1 दिनांक 23.03.07 को खातेदार मालाराम वगैरा राजपूत ओड से जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा भूमि खरीदकर बहैसियत खातेदार काबिज हुई है। अप्रार्थी ने जिस दिन भूमि खरीदी थी। रिकार्ड में उस दिन अप्रार्थी की जाति राजपूत ओड दर्ज थी। राजस्व रिकार्ड पर विश्वास करते हुए सद्भावनापूर्वक भूमि खरीदकर कब्जा प्राप्त किया है। अप्रार्थी सं. 2 से 5 राजपूत ओड है जो अनुसूचित जाति के व्यक्ति नहीं है। ऐसा सैटलमेट विभाग द्वारा तय किया गया है। प्रार्थी मिसल बंदोबस्त के इन्द्राजो से व्यथित है तो उसे सक्षम न्यायालय में चाराजोही करनी चाहिए। कानून में रेफरेंस की रेमेडी बैकडोर रेमेडी माना गया है। अप्रार्थी सं. 6 की ओर से अप्रार्थी सं. 1 से 5 के विरूद्ध धारा 175 आरटीए का दावा पेश कर रखा है जो जैरकार है। धारा 42 बी आरटी एक्ट के तहत राजस्थान में जो जातिया अनुसूचित जाति की है, उसमें हरिजन जाति का अंकन नहीं है ना ही हरिजन ओड जाति अंकित है। प्रार्थी, अप्रार्थी सं. 1 के परिवार से रंजिश रखता है। अतः झूठा रेफरेंस प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज योग्य है। प्रार्थी को रेफरेंस प्रार्थना पत्र पेश करने की लोकस स्टैण्ड डाई हासिल नहीं होने से प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र विशेष कोस्ट लगाकर खारिज किया जावे।

जिला कलक्टर, बीकानेर

6. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। विद्वान वकील प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी सं. 2 से 5 गौण पक्षकार होने के कारण इस्तदुआ स्वीकार करते हुए प्रार्थना पत्र से अप्रार्थी सं. 2 से 5 का नाम इस प्रार्थना पत्र से हटाया जाता हे। वादगत भूमि के खरीदाररान अप्रार्थी सं. 2 से 5 के हक में इंतकाल सं. 1373 दिनांक 25.08.90 में अप्रार्थी की जाति हरिजन ओड दर्ज है तथा उनके हक में किये गये बैयनामो में भी इनकी जाति हरिजन ओड दर्ज है। सभी बैयनामो में खरीदारो की जाति हरिजन दर्ज है। कानूनन अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि अनुसूचित जाति का व्यक्ति ही खरीद सकता है। सामान्य प्रचलन में हरिजन जाति अनुसूचित जाति ही मान्य है।. धारा 42 (बी) आरटी एक्ट में जो अनुसूचित जातियां है उसमें हरिजन जाति का अंकन न होना इस बात को इंगित नहीं करता कि हरिजन अनुसूचित जाति नही है। हरिजन समुदाय है जो अनुसूचित जाति में है। अप्रार्थीया सं. 1 के ससुर जिसे हरिजन की भूमि का ज्ञान होते हुए अप्रार्थी सं. 2 से 5 का मुख्त्यारआम बनकर विवादित भूमि का बैयनामा अपनी पुत्रवधु अप्रार्थी नं. 1 संगीतादेवी के हक में दिनांक 23.03.07 को करवाना सदभावनापूर्वक प्रतीत नहीं होता है। ऐसे नल एण्ड वॉयड ईलीगल बैयनामें के आधार पर अप्रार्थीया नं. 1 को कोई अधिकार प्राप्त नही होता है। अतः मामला अंतिम निर्णय हेतु माननीय राजस्व मण्डल, अजमेंर को अग्रप्रेंषित किया जाना हम न्यायोचित पाते है।

7. उक्त विवेचन के परिपेक्ष्य में प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को अग्रप्रेषित करते हुए उपस्थित पक्षकारान को निर्देश दिये जाते है कि वे माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष दिनांक 17.04.2020 को उपस्थित होवें । तहसीलदार, बीकानेर को आदेशित किया जाता है कि राजकीय अभिभाषक के मार्फत माननीय राजस्व मंडल में रेफरेंस प्रस्तुत करे ।

8. आदेश आज दिनांक 11.03.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(कुमार पाल गौतम)
जिला कलक्टर,बीकानेर
जिला कलक्टर, बीकानेर